"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी 2008—फाल्गुन 3, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 2-1/08/1-8.—श्री राधेश्याम शर्मा, रजिस्ट्रार, (सतर्कता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की सेवायें विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई हैं, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2008

क्रमांक एफ. 1/1220/भापुसे/2008.— Shri Myinthungo Tungoe, भापुसे, (परि.), आर. आर. 2006 को दिनांक 31-12-2007 से दिनांक 15-01-2008 तक कुल 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. Shri Myinthungo Tungoe, भापुसे, (परि.), आर. आर. 2006 को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर Shri Myinthungo Tungoe, भापुसे, (परि.), आर. आर. 2006 परि. पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि Shri Myinthungo Tungoe, भापुसे, (परि.), अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2008

क्रमांक एफ. 1/1287-A/भापुसे/2008.— श्रीमती एस. प्रेमलता, भापुसे, (परि.), आर. आर. 2006 को दिनांक 31-12-2007 से दिनांक 11-01-2008 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2008 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्रीमती एस. प्रेमलता, भापुसे, (परि.), आर. आर. 2006 को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती एस. प्रेमलता, भापुसे, (परि.), आर. आर. 2006 परि. पर पदस्थ होंगी.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती एस. प्रेमलता, भापुसे, (परि.), अवकाश पर नहीं जातीं तो कार्य करते रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक/987/25-3/2008/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 की कण्डिका 9 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन करता है :

1.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	-	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग	-	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग	-	सदस्य
4.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	-	सदस्य
5.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य

6.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	-	सदस्य
7.	जनजातीय सलाहकार परिषद् के 3 अनु. ज. जा. सदस्य (मान. अध्यक्ष, आदिमजाति मंत्रणा परिषद् द्वारा मनोनित)	-	सदस्य
8.	आयुक्त/संचालक, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़	-	सदस्य सचिव

2. राज्य स्तरीय निगरानी समिति उपर्युक्त नियम की कण्डिका 10 में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
MANTRALAYA, RAIPUR

Raipur, the 7th February 2008

No. 1213/D-57/XXI-B/C. G./08.—In exercise of the powers conferred under clause (7) of Rule 8 of Chhattisgarh Civil Services (Condition of Services) Rules, 1961 and Rule 12-A of Chhattisgarh Government Servants (Temporary and Quasi Permanent Services) Rules, 1960, the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby accepts the resignation of Shrimati Priya Rao, Civil Judge Class-II, Kurud, District Dhamtari, Chhattisgarh from the post of the Civil Judge Class-II with effect from 13th December, 2007

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANT RAY, Additional Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

क्रमांक 2016/एफ 4-32/32/2007.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 के खण्ड (छ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मण्डल में निम्नानुसार अशासकीय व्यक्तियों को, तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त सदस्य नियुक्त करता है :—

1. श्री खेमराज वैद्य
2. श्री गोविंद दुबे
3. श्री कृष्णा साहू
4. सुश्री सुनंदा फण सलकर
5. सुश्री सविता तराटे

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2008

क्रमांक/223/एफ 7-8/32/2008.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए लखनपुर, निवेश क्षेत्र का गठन करती हैं, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :—

अनुसूची

लखनपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम अंधला, लखनपुर, शिवपुर, भरतपुर, केवरा, सिरकोतंगा एवं रजपुरी (कला) ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम रजपुरी (कला), केवरा, केवरी एवं कोसंगा, ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कोसंगा, बन्धा, कुंवरपुर एवं अंधला, ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम अंधला ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2008

क्रमांक एफ-4-333/2005/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 9 सहपठित धारा 355 एवं 356 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीगसढ़ नगर पालिक कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1968, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

नियम- 5 (क) के उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जायें, अर्थात् :—

(3) सीधी भर्ती के प्रकरण में भरे जाने वाले द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नेत्रहीन, बधिर तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए 6% आरक्षण दिये जायेंगे. इस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रत्येक श्रेणी हेतु एक पद आरक्षित रहेगा, तथा शेष दो पर अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने की स्थिति में आगामी वर्ष हेतु अग्रणित (कैरी फारवर्ड) किये जा सकेंगे.

Raipur, the 6th February 2008

No. F-4-333/2005/18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 355 and 356 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rule, 1968, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After sub-rule (2) of rule 5-a, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) six percent of Class II, III and IV posts shall be reserved for blind, deaf and other disabled persons in the cases of direct appointment, so that one post for each category of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Classes and un-reserved may be reserved and rest two posts shall be carry forwarded for next year in case of non-availability of candidates."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेबनुस खलखो, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 जनवरी 2008

क्रमांक 02/अ-82/05-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध मे लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रतनपुर प. ह. नं. 17	7.53	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 जनवरी 2008

क्रमांक 06/अ-82/05-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध मे लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	जमुनाही प. ह. नं. 18	1.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय माइनर नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 2 फरवरी 2008

रा. प्र. क्र. /02/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर	46.81	संचालक, उद्योग संचालनालय, छ. ग. रायपुर [अधोसंरचना विकास (भू-अर्जन) कक्ष]	1000 मेगावाट प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 10 जनवरी 2008

रा. प्र. क्र./1/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सामरी (कुसमी)
- (ग) नगर/ग्राम-करमी उरांव टोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.383 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
513/2	0.048
517	0.032
513/5	0.081
461/2	0.113
515	0.283
552	0.162
512/2	0.101
458	0.073
553	0.243
551	0.081
512/1	0.101
509/2	0.065
योग 12	1.383

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- डीपाडीह कला कोठली मार्ग पर करमी उरांव टोली गलफुल्ला सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th February 2008

No. 04/L. G./2008/II-2-19/2006.—Shri Rajendra Chandra Singh Samant, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) (C. G.) is hereby, granted earned leave for 05 days from 14-02-2008 to 18-02-2008 along with the permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rajendra Chandra Singh Samant, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+10 days of earned leave are remaining in his leave account.

By order of the high Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.